राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर।

क्रमांक :– प.17(3955) आक्षेवि/रेगु/2021/ 181-184 दिनांक : 21.05.2021

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं.। 8209612035	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर 9116458111, 9413315069	अति. मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर 7976104018, 8306500641	अति. मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर 9116158111, 9829923117

विषय : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिनांक 21.05.2021 प्रातः 06 बजे से दिनांक 10.06.2021 प्रातः 06 बजे तक पानी चलाये जाने का प्रस्ताव।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक एफ.4/रेगु/14–बी/99 दिनांक 19.05.2021।

महोदय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि तकनीकी समिति की दिनांक 18.05.2021 को हुई बैठक में दिनांक 21.05.2021 से 25.05.2021 तक 2000 क्यूसेक एवं 26.05.2021 से 10.06.2021 तक 9200 क्यूसेक डेमों से राजस्थान के लिए रावी व्यास का पानी निर्धारित किया गया है। जिसमें से इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 6750 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकेगा।

वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर में 28.05.2021 तक पूर्ण नहर बंदी चल रही है एवं उसके पश्चात हरिके से पानी उपलब्ध हो सकेगा। **पानी इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी 620 पर 02.06.2021 तक पहुचना संभावित है।**

उपरोक्त के मध्यनजर दिनांक **02.06.2021 प्रातः 06 बजे से 10.06.2021 प्रातः 06 बजे तक (समय इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी 620 के आधार पर)** अनिवार्य आवश्यक्ता एवं लोसेज के उपरांत उपलब्ध पानी को पीने हेतु चलाये जाने का प्रस्ताव मुख्य अभियंता, इगानप बीकानेर अतिरिक्त मुख्य अभियंता इंगानप जैसलमेर, तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता रेगुलेशन इगानप से प्राप्त सहमति के आधार पर निम्नानुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया जाता है–

अनिवार्य आवश्यक्ताः–

क्र.सं.	नहरें	मात्रा क्यूसेक में
1.	रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी	55
2.	सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के लिए	75
3.	साहवा जलोत्थान नहर	113.84
4. I	कंवरसेन जलोत्थान नहर	148
4. II	सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु	02
5.	पीने का पानी बीकानेर शहर के लिए शोभासर जलाशय के माध्यम से	76
6.	बरसिंहसर थर्मल प्लांट	25
7.	नागौर लिफ्ट के माध्यम से पीने का पानी	70
8.	मैं. बी.एस. लिग्नाईट पावर प्रो. प्राई. लि. गुड्डा	05
9.	पीने का पानी जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना	240
10.	सोलर पावर प्रोजेक्ट मैसर्स गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	1.6
11.	पोकरण फलसूंड पेयजल योजना	30
12.	रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना	25
13.	जैसलमेर शहर के लिए पेयजल	30
14.	जैसलमेर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पेयजल	70
15.	गिराल परियोजना	24
16.	राजवेस्ट परियोजना हेतु	40
17.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना हेतु	50
	योग	**1080.44**

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चक्रीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी फीडर एवं इंदिरा गांधी मुख्य नहर में 1100 क्यूसेक सीपेज लोस का प्रावधान लिया जाता है । अतः अनिवार्य आवश्यक्ता 1080 क्यूसेक पानी की आपूर्ति के पश्चात लगभग 5670 क्यूसके पानी सीपेज लोस सहित सभी नहरो में पीने हेतु चलाये जाने के लिए उपलब्ध हो सकेगा।

21/05/2021

राजस्थान फिडर में 28.05.2021 तक पूर्ण बंदी के बाद पानी प्रवाहित किया जायेगा अतः पानी उपलब्ध होने पर सर्वप्रथम उसका उपयोग इंदिरा गांधी फिडर/इंदिरा गांधी मुख्य नहर के पोंडस मेनटेन करने में किया जायेगा।

अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति के पश्चात शेष उपलब्ध पानी को पीने हेतु चलाये जाने का कार्यक्रम अति0 मुख्य अभियन्ता रेगुलेश्न ईगानप बीकानेर अपने स्तर पर तीनो मुख्य अभियन्ता/अति0 मु0 से परामर्श कर अपने स्तर पर जारी किया जायेगा।। इस हेतु निम्न बिन्दुओं का भी पालना करें :-

1. नहरों के लिए पानी केवल पेयजल हेतु उपलब्ध कराया गया है, सिंचाई हेतु नहीं। संबंधित मु0अ0/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर इसको सुनिश्चित करेंगे।
2. जन स्वा. अभि. विभाग एवं पंचायती राज विभाग उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल का अपने विभागीय स्रोतों के माध्यम से उपयोग करना सुनिश्चित करें।
3. जारी उक्त कार्यक्रम में संबंधित नहर के अधिशासी अभियन्ता सिंचाई व्यवस्था एवं जिला कलक्टर द्वारा पानी वितरण की प्रभावी मोनेटरिंग हेतु गठित टास्क फोर्स की कियान्विति के लिए प्रत्येक समय अपने मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे ताकि जन प्रतिनिधियों व नागरिकों को पेयजल उपलब्धता के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।
4. अधिशासी अभियन्ता स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने के संबंध में आदेश कमांक प.9( )सिंआबी/काव्य/रबी फसल/16/613 दिनांक 10.10.16 प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसकी पालना करने का उत्तरदायत्वि संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
5. पानी का उपयोग केवल पेयजल के लिए सुनिश्चित करने के कम में जल संसाधन, राजस्व, विकास एवं पुलिस विभाग के कार्मिकों की गश्त कार्यवाही संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सिंचाई विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

21/05/2021

(भंवर लाल मेहरा)
आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगांनप,
बीकानेर।

OC

क्रमांकः—प.17(3955)/तक/आक्षेवि/रेगु/2021/ 185-204 दिनांकः 21.05.2021

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1— विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. जयपुर।
2— प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, सीएडी एवं जल उप0 विभाग, राज, जयपुर।
3— अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
4— संभागीय आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर ।
5— निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन, राज. जयपुर।
6— जिला कलक्टर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
7— जिला पुलिस अधिक्षक, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
8— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
9— मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर।
10— अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर।
11— अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर।
12— अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, राजीव गांधी लिफ्ट केनाल एवं जोधपुर शहर, जोधपुर।
13— अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बीकानेर।
14— उपखंड अधिकारी, बीकानेर/खाजूवाला/लूनकरणसर/पूगल/छत्तरगढ़/कोलायत/अनूपगढ़/भादरा/चूरू/श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर/घडसाना/सूरतगढ़/हनुमानगढ़/नोहर/पीलीबंगा/रावतसर/सरदारशहर/तारानगर/फलोदी/पोकरण/जैसलमेर।
15— अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, हनुमानगढ़/विजयनगर/छत्तरगढ।
16— अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत, नागौर।
17— अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत, बाड़मेर।
18— जिला संपर्क अधिकारी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
19— निजी सचिव, आयुक्त, सीएडी, बीकानेर।

21/05/2021

आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगांनप,
बीकानेर।

OCB